कार्यालय

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(जिला पंचायत राज कार्यालय,दुमका)

विज्ञापन संख्या–01/2016 के द्वारा दुमका जिला के पंचायतों के लिए संविदा पर कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक दिनांक–09.09.2016 को सम्पन्न हुई। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.07.2016 के आलोक में विज्ञापित पदों पर दुमका जिला के स्थानीय निवासी से नियुक्ति करने का निर्णय बैठक में लिया गया।तद्नुसार प्राप्त आवेदन को तीन भागों में विभक्त किया गया है, जो निम्न प्रकार है (दोनों पद का) :–

1. ग्रुप – A – दुमका जिला से बाहर के आवेदन ।
2. ग्रुप – B – दुमका जिले के वैसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/ अहर्त्ता नहीं रखते है।
3. ग्रुप – C – दुमका जिले के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/ अहर्त्ता रखनेवाले आवेदक।

उपरोक्त सूची **dumka.nic.in/panchayat.aspx** पर देखा जा सकता है। ग्रुप–B के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के संबंध में भी सूचना अंकित की गयी है। यदि किसी को इसमें कोई आपत्ति हो तो वे लिखित आवेदन/ शिकायत दावा पत्र दिनांक–30.09.2016 तक दे सकते हैं।

ग्रुप–C के दोनों पदों के लिए दक्षता परीक्षा (विषय ज्ञान–20 अंक एवं कम्प्यूटर ज्ञान–10 अंक) आयोजित होगा; जिसके लिए निम्न प्रकार तिथि एवं स्थल निर्धारित किया जाता है:–

क्र0	विषय	स्थल		तिथि	समय
1	विषय ज्ञान	+2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, दुमका		16.10.2016	10:00 AM से 12:00AM
2	कम्प्यूटर ज्ञान	NIC, Dumka	कनीय अभियंता	16.10.2016	02:00 बजे अपराह्न से क्रमानुसार
		NIC, Dumka	लेखा लिपिक –सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	17.10.2016	11:00 बजे पूर्वाह्न से क्रमानुसार

दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दुमका के द्वारा जिला पंचायत राज कार्यालय, दुमका से निर्गत किया जायेगा। ग्रुप – C के आवेदक दिनांक–03.10.2016 से कार्यालय अवधि में स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते है। किसी भी परिस्थिति में दूसरे (अभ्यर्थी के बदले) को प्रवेश–पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। प्रवेश–पत्र प्राप्त करने हेतु निम्न कागजात साथ में लाना आवश्यक होगा :–

1. हाल का खींचा हुआ 3 (तीन) स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो। (फोटो के पीछे ग्रुप – C की सूची के अनुसार पंजी/सूची का क्रमांक अवश्य अंकित करें)
2. पहचान हेतु – फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र आदि) (स्वाभिप्रमाणित छयाप्रति के साथ) साथ लाना आवश्यक होगा।

21/9/16

उपायुक्त,
दुमका।

Sep - 16